

PRESS - RELEASE

जिला सवाई माधोपुर

मंगलवार

दिनांक :- 03.10.2017

शांति भंग करने के 19 आरोपी गिरफ्तार :-

विनोद कुमार उ०नि० थाना खण्डार स०मा० ने सुरज्या पुत्र चेताराम उम्र 50 साल जाति बैरवा निवासी बरनावदा थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार सतोषीलाल हैड कानि० 19 थाना बोली स०मा० ने धारासिंह पुत्र श्री कंचनलाल जाति मीना नि० अमावरा थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार धर्मेन्द्र हैड कानि० 396 थाना बोली ने श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामकिशन जाति मीना ,श्री पुखराज पुत्र श्री गोकर्ण जाति मीना ,श्री लखपत पुत्र श्री गोकर्ण जाति मीना , श्री देवकरण पुत्र श्री जयराम जाति मीना निवासीयान बहनौली थाना बोली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार अजीत सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना बी.कला ने जीतू पुत्र सियाराम गुर्जर उम्र 24 वर्ष निवासी पादडा, तूजू पुत्र रमेशचन्द्र मीणा उम्र 19 साल, घनश्याम पुत्र हिरालाल गुर्जर उम्र 28 साल निवासी पादडी तापेखाना स.मा. को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार प्रेमप्रकाश हैड कानि नं. 322 थाना बाटोदा ने नरसी पुत्र प्रहलाद उम्र 32 साल, खेमराज पुत्र श्री प्रहलाद उम्र 35 साल , लडडूराम पुत्र प्रहलाद उम्र 28 साल जातियान मीना निवासीयान बिछौछ थाना बाटोदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार लालचन्द्र हैड कानि नं. 44 थाना मलारना डूंगर ने हरिसिंह पुत्र अडीसाल उम्र 62 साल , केदार पुत्र रामखिलाडी उम्र 45 साल , राजमल उर्फ पप्पू पुत्र रामखिलाडी उम्र 34 साल निवासीयान बरियारा थाना मलारना डूंगर जिला स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार मुकेश कुमार उ०नि० (प्र०) थाना मानटाउन ने श्री गोरीशंकर पुत्र श्री बजरंग लाल जाति बैरवा उम्र 22 साल निवासी बस्सी मौहल्ला थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर , श्री प्रवेश बैरवा पुत्र श्री रामकिशोर जाति बैरवा उम्र 18 साल निवासी खण्डेवला थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर , श्री चरत सिंह मीणा पुत्र श्री मियाराम जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी बडोद थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर , श्री अजय जाटव पुत्र श्री भजन लाल जाति जाटव उम्र 23 साल निवासी गुर्जर मौहल्ला खेरदा थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

जुआ खेलते 03 आरोपी गिरफ्तार:-

मनीष कुमार हैड कानि० 395 थाना चौथ का वरवाडा स०मा० ने घासीराम पुत्र श्री मोतीलाल माली उम्र 32 साल , सीताराम पुत्र श्री बजरंग माली उम्र 41 साल ,गोविन्द पुत्र श्री नैनू माली उम्र 28 साल समस्त निवासीयान चैनपुरा थाना चौथ का वरवाडा स०मा० को ग्राम चैनपुरा थाना चौथ का वरवाडा स०मा० में ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के पत्तों व 1020 रूपयों के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 188/17 दर्ज किया गया।

अवैध हथियार रखने के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

संतसिंह स०उ०नि० थाना बजीरपुर ने अखलेश पुत्र विरजू , श्री अंग्रेज पुत्र रूपसिंह जातियान मीना निवासीयान आगरी थाना सदर करौली जिला करौली को अवैध एक देशी 32 वोर पिस्टल व 2 जिन्दा कारतूस 32 वोर तथा 5 जिन्दा कारतूस 303 वोर के रखने के आरोप मे थाना बजीरपुर पर मु०न० 186/17 धारा 3/25 Arms Act मे दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

मोटर साइकिल चोरी का आरोपी गिरफ्तार:-

फजरुद्दीन हैड कानि० 333 थाना मानटाउन ने श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह जाति सिक्ख सरदार उम्र 20 साल निवासी सोटवा थाना श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिससे एक मोटर साइकिल भी बरामद की गई।

उल्लेखनीय है कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धनराज पुत्र मोतीलाल मीणा निवासी पीपलवाडा थाना रवांजना डूंगर ने दिनांक 02.10.2017 को मु०न० 336/17 थाना मानटाउन पर मोटर साइकिल चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।